कार्यक्रम | अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए हजारों युवा, देश को विकसित बनाने का लिया संकल्प

राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आएं युवा : डॉ. वीरेंद्र सिंह

नवभारत, जबलपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जबलपुर महानगर द्वारा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर 'छात्र उत्सव 2.0' का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं गणमान्य नागरिकों की सहभागिता रही। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी भूमिका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान भारत माँ के जयघोष के नारे गूंजते रहे और विद्यार्थियों में उत्साह और ऊर्जा का विशेष वातावरण देखने को मिला। उपस्थित विद्यार्थियों ने राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता एवं छात्र हित के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। अंत में सभी अतिथियों का

स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया तथा आभार प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का सफल समापन हुआ।

विद्यार्थी वर्तमान का सक्रिय परिवर्तनकर्ता है

इस दौरान अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने विशेष उपस्थिति के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी केवल भविष्य का नागरिक नहीं, बल्कि वर्तमान का सक्रिय परिवर्तनकर्ता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नागरिक तैयार करना है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे ज्ञान, संस्कार और सेवा की भावना के साथ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करें तथा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

चरित्रवान एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प

वहीं प्रांत मंत्री सुव्रत बझल ने कहा कि परिषद स्थापना काल से ही छात्र हित, शिक्षा की गुणवत्ता तथा राष्ट्रहित के विषयों को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए चरित्रवान एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लें। मंच पर महानगर अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र पोधड़े एवं छात्रा प्रमुख तृषा पांडे उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में महानगर मंत्री आर्यन पुंज ने सभी अतिथियों एवं सहभागियों का आभार व्यक्त किया।

हजारों की संख्या में विद्यार्थी रहे उपस्थित

इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता डॉ. अभिलाष पांडे, संदीप जैन, केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य माखन शर्मा, प्रांत सह-मंत्री अनमोल सोनकर, प्रांत विश्वविद्यालय संयोजक ऐश्वर्य सोनकर, महानगर सह-मंत्री शोभित मिश्रा, अक्षत ताम्रकार, प्रफुल तिवारी, आशुतोष पटेल, लखन मांझी और दिव्यांक पचौरी सहित हजारों की संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

विद्यार्थी शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सांसद आशीष दुबे ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि विद्यार्थी शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि आज का युवा नवाचार, तकनीक, सामाजिक चेतना और राष्ट्रभक्ति के माध्यम से भारत को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। उन्होंने परिषद द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं और उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं।

तम्बाकू नियमों पर सख्ती, अमले को प्रशिक्षण

नवभारत, जबलपुर । राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नगर पालिका परिषद सिहोरा के सभागार में नगर पालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए क्षमता वर्धन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कलेक्टर के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा-2003) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा तम्बाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासनिक अमले को प्रशिक्षित करना था। प्रशिक्षण में स्वास्थ्य विभाग के जिला नोडल अधिकारी डॉ. प्रशांत दुबे, एमपीवीएचए के संभागीय समन्वयक रोहित पालीवाल सहित नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

हर वर्ष 14 लाख मौतें कानून का पालन जरूरी

रोहित पालीवाल ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि तम्बाकू सेवन के कारण देश में प्रतिवर्ष लगभग 13 से 14 लाख लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए कानून का कड़ाई से पालन और जनजागरूकता दोनों आवश्यक हैं।

उन्होंने बताया की कोटपा-2003 की धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है तथा उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा-5 के अनुसार तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन, प्रायोजन एवं प्रचार-प्रसार पर रोक है। वहीं धारा-6(अ) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है, जबकि धारा-6(ब) के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकती।

हुक्का बार और ई-सिगरेट पर भी प्रतिबंध

प्रशिक्षण मेंप्रतिभागियों को बताया गया कि तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है। भारत सरकार के तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान दिशा-निर्देशों, प्रदेश में हुक्का बार संचालन पर प्रतिबंध तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी दी गई।

जिला अस्पताल में मिल रही नशा छोड़ने की सुविधा

जिला नोडल अधिकारी डॉ. प्रशांत दुबे ने बताया कि जिला चिकित्सालय स्थित तम्बाकू निषेध केंद्र (टीसीसी) में तम्बाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों को निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एनआरटी) के साथ काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लोग तम्बाकू की लत से बाहर निकल सकें।

उल्लंघन पर होगी प्रभावी कार्रवाई

प्रशिक्षण के अंत में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने तथा कानून के उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने का संकल्प लिया। यह प्रशिक्षण नगर पालिका स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण कानून के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

4 साल बीते विभागीय कार्रवाई पूरी नहीं

मध्य भारत मोर्चा ने खोला मोर्चा

नवभारत,जबलपुर। मध्य भारत मोर्चा के सदस्यों ने नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक संजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है आरोप है कि लोकायुक्त द्वारा मई 2022 में 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था एफआईआर दर्ज होने के बावजूद चार वर्ष बीत जाने पर भी अभियोजन स्वीकृति एवं विभागीय कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई जिसे लेकर मोर्चा के सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव ने कहा कि प्रदेश भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रहा है परंतु ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नजर क्यों नहीं जा रही है और तो और संबंधित अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते आ रहे और अब उनके सेवानिवृत्त होने का समय भी निकट बताया जा रहा है। इस प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्यवाही की मांग की गई। इस दौरान मध्य भारत मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव , दिलीप विश्वकर्मा, शोभित राजपूत,सौरभ मिश्रा, निहाल यादव,राजा बाबा ,लक्की सोनी,सोहेल ,अफजल, समीर , आकाश ,अमित आदि उपस्थित थे।

रिंग रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से ढाबा कर्मी की मौत

नवभारत, जबलपुर। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत रिंग रोड पर ग्राम बंधा के पास सहजपुर पौड़ी स्थित ढाबा से काम खत्म कर घर लौट रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक, ग्राम बिलखरवा निवासी चरण रैकवार (48) सहजपुर पौड़ी स्थित एक ढाबे में काम करते थे। रोज की तरह वे बुधवार को भी अपनी ड्यूटी पर गया था। रात को काम खत्म करने के बाद, लगभग 1 बजे वे ढाबा से खाना लेकर अपने घर बिलखरवा वापस लौट रहा था। इसी दौरान रिंग रोड ग्राम बंधा के पास एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

श्रमिकों की मांगों पर शिवसेना ने किया कार्यालय का घेराव

नवभारत, जबलपुर। अधारताल स्थित फर्नीचर एंड फर्नीचर फैक्ट्री के सैकड़ों श्रमिकों की मांगों पर कार्रवाई न होने के विरोध में शिवसेना ने 10 जुलाई को विजय नगर स्थित सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। इससे पहले 20 मई को शिवसेना के नेतृत्व में श्रमिकों ने सहायक श्रम आयुक्त को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था। आज दिनांक तक श्रम विभाग द्वारा न तो फैक्ट्री संचालक के ऊपर कोई कार्रवाई की गई और न ही श्रमिकों की मांगों को माना गया, जिसके विरोध में दोपहर 2 बजे कार्यालय का घेराव किया गया।

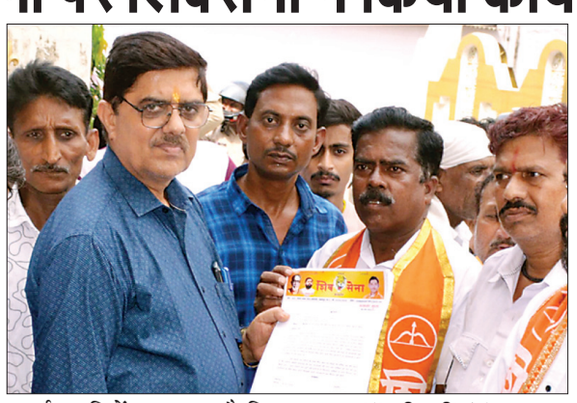

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विभाग की निष्क्रियता के कारण श्रमिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।

मांगें पूरी नहीं होने पर धरने की चेतावनी

इस दौरान शिवसेना राज्य उप-प्रमुख शैलेंद्र बारी ने चेतावनी दी है कि अगर श्रमिकों की मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो श्रम आयुक्त कार्यालय के समक्ष विशाल धरना दिया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। इस अवसर पर जिला सचिव गजानंद गुप्ता, नगर प्रमुख मुकेश सराठे, भवानी शंकर सतनामी, सुधीर ताम्रकार, कमलेश रजक, विजय गोंटिया, विकास सराठे, दिलीप पटेल, रामगोपाल यादव, अजय पटेल, अनिल केवट, वीरेंद्र पटेल, शुभम मेहरा, सतीश रजक, संजय दहिया, किशन गुप्ता और इंद्रजीत सोनी सहित कई शिव सैनिक एवं श्रमिक मौजूद रहे।

एक नजर में

धान रोपाई का लिया जायजा

नवभारत,जबलपुर । धान की रोपाई के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाने के बाद पाटन क्षेत्र में किसानों ने धान रोपाई का कार्य तेजी से प्रारंभ कर दिया है। ऐसे में खेती की आधुनिक और उन्नत तकनीकों के प्रति किसानों को जागरूक करने कृषि अधिकारी पाटन क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं।इसी सिलसिले में अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ इंदिरा त्रिपाठी की अगुवाई में कृषि अधिकारियों ने ग्राम उजरोड के कृषक रुपेश पटेल द्वारा पैडी ट्रांसप्लांटर (धान रोपाई मशीन) के माध्यम से आधुनिक तरीके से की जा रही धान की रोपाई का निरीक्षण किया और इसके लिये उसकी सराहना की। आधुनिक कृषि यंत्रों के इस सफल प्रयोग को देखकर आस-पास के किसानों में भी इस तकनीक को अपनाने के प्रति काफी उत्साह देखा गया। कृषि अधिकारियों से चर्चा करते हुये कृषक रुपेश पटेल ने पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से रोपाई के फायदे गिनाये। कृषक ने बताया कि इस मशीन के उपयोग से उसे मजदूरों की समस्या से राहत मिली है और रोपाई का काम तेजी से पूरा हो रहा है। कृषि अधिकारियों ने रूपेश पटेल को आगामी फसल प्रबंधन, खाद व पानी के सही उपयोग को लेकर तकनीकी सलाह दी।

हमारा लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्त्रोतों को सुरक्षित करना है : महापौर

शहर में 1500 स्थानों पर होगा सोकपिट का निर्माण
मनमोहन नगर पार्क से हुआ ऐतिहासिक शुभारंभ
100 से अधिक कुओं की हो रही सफाई

नवभारत,जबलपुर। हमारा लक्ष्य सिर्फ पानी बचाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्त्रोतों को सुरक्षित करना है। निगम प्रशासन हर नागरिक को जल संचय के प्रति जागरूक कर रहा है। यह बातें महापौर जगत बहादुर सिंह ने कहीं। दरअसल महापौर की अगुवाई में शहर को जल संकट से बचाने और वर्षा जल के संचय के लिए एक वृहद अभियान की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में 1500 स्थानों पर सोकपिट का निर्माण किया जाएगा। महापौर श्री अन्नू ने बताया कि यह अभियान पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में 100 से अधिक पारंपरिक कुओं की सफाई और जीर्णोद्धार का कार्य जारी है। इसके साथ ही, शहर के सभी सरकारी हैंडपंपों और बोरवेल के पास रिचार्ज सोकपिट बनाए जा रहे हैं, ताकि बारिश का पानी सीधे जमीन के भीतर जाकर भूजल स्तर को

बढ़ा सके। इस अभियान की शुरुआत मनमोहन नगर पार्क से हुई, जहां महापौर अन्नू ने 60 फीट गहरे और 6 इंची व्यास के बोर के चारों ओर 33333 का सोकपिट तैयार कराकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। महापौर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस सिस्टम के आस-पास मौजूद दो अन्य शासकीय बोरिंग को भी तत्काल रिचार्ज सिस्टम से जोड़ा जाए, ताकि वर्षा जल जमीन के काम आ सके।

नागरिकों ने सराहा जनप्रतिनिधियों का मिला साथ

महापौर की इस दूरदर्शी पहल का क्षेत्रीय नागरिकों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। इस कदम से आने वाले गर्मियों के दिनों में जल संकट से बड़ी राहत मिलेगी। शुभारंभ के अवसर पर निगमाध्यक्ष रिकुंज विज, एम.आई.सी. सदस्य विवेकराम सोनकर, डॉ. सुभाष तिवारी, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती रेणु कोरी, मंडल उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह सेंगर, बूथ अध्यक्ष श्रीमती वर्षा मेहता, शक्ति केंद्र से नीरज, संदीप जायसवाल और मनीष तड़से सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक और गणमान्य जन उपस्थित रहे।

अमानक गुटखा बेचने पर छह माह की सजा

नवभारत,जबलपुर। अमानक और मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित गुटखा बेचने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरुण कुमार गोयल की अदालत ने आरोपी शमशेर हुसैन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत छह माह के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार 26 सितंबर 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधुरी मिश्रा ने इनकम टैक्स ऑफिस के सामने स्थित मुन्ना पान भंडार का औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान गुटखा के 50 पैकेट विधिवत नमूने के रूप में लेकर उन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया। जांच रिपोर्ट में नमूना असुरक्षित पाया गया। इसके बाद अभियोजन स्वीकृति लेकर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भगवत उईके ने पैरवी की। उनके तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराकर सजा सुनाई।

सूने मकान से नगदी समेत जेवरात चोरी

नवभारत,जबलपुर। मझौली थाना अंतर्गत ग्राम रानीताल में चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर जेवरात और नगदी पार कर दी । पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को सपना चौधरी 29 वर्ष निवासी ग्राम रानीताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 जुलाई को गंगाजली कार्यक्रम में शामिल होने के लिये देवर कमल चौधरी के साथ सिहोरा गयी थी घर में ताला लगाकर गयी थी। 7 अप्रैल सुबह उसकी चाची सास सोमबाई ने फोन कर बतायी कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है, वह देवर के साथ आकर देखी उसके घर की आलमारी टूटी हुयी थी जिसमें रखे नगदी 50 हजार रूपये, सोने चांदी के जेवरात समेत उसके देवर की आलमारी में रखे नगदी 14 हजार रूपये, जेवर गायब थे। बीती रात रात 12 बजे से 4 बजे के बीच अज्ञात चोर ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर व नगदी चोरी कर ले गया है।

पुलिस ने लौटाए 200 से अधिक गुम मोबाइल

मंडला। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार जिले में संचालित 15 दिवसीय सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान का समापन आर.डी. कॉलेज सभागार में भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम मुख्य अतिथि तथा कलेक्टर राहुल नामदेव धोते, पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा व एएसपी शिव कुमार वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)

लोककर्म विभाग

//चतुर्थ निविदा आमंत्रण सूचना//

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का विवरण	कार्य समयावधि एवं लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	PRO-378 Date-09/07/2026	वार्ड क्र. 72 के अंतर्गत कठोंदा खेरमाई मंदिर के पास सीमेंटीकरण एवं बाबा किराना के पास आर.सी.सी. चेम्बर निर्माण कार्य।	03 माह	2000/-	20/07/2026
	2026_UAD_519694_1		₹.04.36 लाख	4360/-	

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईट https://mptender.gov.in पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री लोककर्म विभाग, नगर निगम जबलपुर

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- 225, नेपियर टाउन, दूसरा माला, अपोजिट चन्द्रिका टॉवर्स, शास्त्री ब्रिज रोड, जबलपुर-482001 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट : www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री अजय कुमार दाहिया श्रीमती मिनी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10268674)	17-4-2025 रु. 1698255/- (रु. सोलह लाख अन्ठानवे हजार दो सौ पचपन मात्र)	संपत्ति का वह भाग जिसका पता है: पीएचएन 49, खसरा संख्या 114, नया डायवर्टेड खसरा संख्या 114/2, झुरझुरु, तहसील पनागर और जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश, 483220, भारत. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, कारपेट_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 800.00, 720.00, 800.00	9-4-2026 कुल बकाया राशि 6-7-2026 को रु. 2102606.72/- (रु. इक्कीस लाख दो हजार छह सौ छह और पैसा बहत्तर मात्र)	रु. 1840000/- (रु. अट्ठारह लाख चालीस हजार मात्र)
	बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)			बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 184000/- (रु. एक लाख चौरासी हजार मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
12-8-2026 के 11.00-14.00 बजे	14-8-2026 के 5.00 बजे तक	17-8-2026 के 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.iflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. **नोट-** प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं. **शेष भुगतान के लिए -** https-//www.iiflonehome.com >मेरी बोली >शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी : care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर : @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें : care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- जबलपुर, दिनांक- 11-7-2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

अभियान | लोगों को जागरूक कर डिजिटल धोखाधड़ी को करेंगे नॉकआउट

बजाज फाइनेंस ने शुरू किया डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ अभियान

नवभारत, जबलपुर। बजाज फाइनेंस ने बढ़ते डिजिटल फ्रॉड से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 'नॉकआउट डिजिटल फ्रॉड' जागरूकता मुहिम शुरू की है। आई4सी और एनसीआरपी की रिपोर्टों के मुताबिक, साल 2025 में पूरे मध्य प्रदेश में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की 55,659 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें लोगों को करीब 581 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस दौरान जबलपुर भी साइबर ठगी का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, जहां साल 2025 में 3,420 शिकायतें दर्ज हुईं और लोगों को करीब 34.81 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ। हालांकि, समय पर कार्रवाई के चलते अधिकारियों ने राज्य में 137 करोड़ से ज्यादा की रकम फ्रीज कर लोगों के पैसे बचाने में सफलता हासिल की। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए लोन स्कैम, निवेश धोखाधड़ी, फर्जी पहचान, डिजिटल अरेस्ट फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड,

व्हाट्सएप ग्रुप, नकली वेबसाइटों, फर्जी नौकरी के ऑफर और वित्तीय संस्थानों व उनके कर्मचारियों के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर आम लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बना रहे हैं।

साइबर विशेषज्ञों ने दी सुरक्षा की सलाह

इस मुहिम के दौरान जबलपुर के सीएसपी साइबर क्राइम अंजुल मिश्रा ने सोशल मीडिया के फर्जी निवेश ऑफर्स से बचने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निजी या बैंकिंग जानकारी साझा न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ठगी होने पर शर्माए नहीं, बल्कि सरकारी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत शिकायत करें, जिससे पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ती है। टीआई साइबर क्राइम भावना तिवारी ने तकनीकी सलाह दी कि अनजान नंबर या ईमेल से मिले लिंक, ऐप या फाइल को डाउनलोड न करें। यदि गलती से संदिग्ध लिंक या एपीके फाइल डाउनलोड हो जाए, तो तुरंत इंटरनेट बंद या फोन फ्लाइट मोड पर करें, क्योंकि ये फाइलें इंटरनेट चालू रहने पर ही सक्रिय होकर नुकसान पहुंचाती हैं।

आरबीआई गाइडलाइंस के तहत देशव्यापी अभियान

यह देशव्यापी अभियान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा बढ़ाना है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा कि ग्राहकों की वित्तीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में देशभर में 100 से अधिक जागरूकता कार्यशालाएं पूरी की हैं। इन कार्यक्रमों में सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर लोगों से सीधे संवाद कर उन्हें सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

तुरंत शिकायत दर्ज कराने की हिदायत

इस कार्यक्रम में सब-इंस्पेक्टर नीरज नेगी, अधिकारी अजीत गौतम और स